# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा )

## किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मोहरपाल बनाम राजस्थान सरकार<br>प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21/1/21 | पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 44, 68, 72, 76, 78 कुल किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 21 बिस्वा, खसरा नं0 3 एवं खाता संख्या 2 में खसरा नं0 84 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम गोकुलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण सहखातेदार है तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है। प्रार्थीगण मृतक काना की संतान है जिनका नाम कमशः मोहरपाल व लोहडया हैं। वादग्रस्त आराजी भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जिस पर पैत्रक तौर से काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम मोहरपाल के स्थान पर मोहनलाल एवं लोहडया के स्थान पर दूल्हा हो गया। प्रार्थीगण को मोहरपाल एवं लोहडया के नाम से ही गांवो, परिवार, रिश्तेदार एवं आस पास के लोगो के द्वारा जाना जाता है इन्ही नामों से उनका फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहबन से इनके नाम मोहन लाल एवं दूल्हा दर्ज हो गया। खाता संख्या 3 में तो प्रार्थी मोहरपाल का नाम मोहरपाल ही है परन्तु खाता संख्या 2 में मोंहनलाल दर्ज हो गया तथा प्रार्थी का लोहडया का नाम दोनो की खाता संख्या में दूल्हा दर्ज हो गया जबकि श्यामपुरा कलां स्थित भूमि में प्रार्थी का नाम लोहडया ही है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम मोहनलाल के स्थान पर मोहरपाल व दूल्हा के स्थान पर लोहडया दर्ज किया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। ग्राम गोकुलपुरा में भी मोहनलाल पुत्र काना व दूल्हा पुत्र काना नाम का कोई व्यक्ति ग्राम गोकुलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में नही है। प्रार्थीगण का नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे मोहनलाल व दूल्हा होने के कारण प्रार्थीगण रहन रख ऋण लेने में परेशानी आ रही है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र श्री चन्दभानसिंह चौहान एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी को तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी | |

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 44, 68, 72, 76, 78 कुल 5 कुल रकबा 18 बीघा 21 बिस्वा, खसरा नं0 3, 2, 84 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम गोकुलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। प्रार्थीगण मृतक काना के दो पुत्र मोहरपाल व लोहडया है तथा राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी मोहरपाल की जगह पर मोहनलाल व लोहडया की जगह दुल्हा का नाम सहवन से राजस्व अभिलेख मे दर्ज हो गया इसलिए राजस्व रिकार्ड मे शुद्व किये जाने योग्य है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण के पिता काना की विरासत का नामान्तकरण इसी प्रकार दर्ज किया था। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी नामान्तकरण की अपील कर अनुतोष ले सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21 1/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0